

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / परीक्षा / 2026 / 153

रीवा, दिनांक 18/02/26

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय सेमेस्टर पद्धति परीक्षा दिसम्बर 2025 अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर नियमित/भूतपूर्व/एटीकेटी परीक्षा हेतु आवेदन वेबपोर्टल <http://www.apsurewa.ac.in> के माध्यम से ऑनलाइन भरने की तिथि निम्नानुसार घोषित की जाती है।

सत्र	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष/सेमेस्टर	पाठ्यक्रम का प्रकार	आवेदन तिथि व शुल्क
सेमेस्टर पद्धति परीक्षा दिसम्बर 2025	स्नातक समस्त – BPES	स्नातक परीक्षा दिसम्बर 2025 सेमेस्टर iii	स्नातक- नियमित /भूतपूर्व/एटीकेटी	1. दिनांक 18.02.2026 से 20.02.2026 तक –1500/- विलम्ब शुल्क रुपये सहित।

विशेष नोट- अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अन्तर्गत विश्वविद्यालयीन स्नातक III सेमेस्टर नियमित/भूतपूर्व/एटीकेटी परीक्षा दिसम्बर 2025 के परीक्षा फार्म पोर्टल पर छात्रों द्वारा भरने हेतु तभी उपलब्ध होंगे जब क्रिस्प पोर्टल पर उन समस्त छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक विभाग द्वारा भरे जा चुके होंगे।

अतः विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों को सूचित किया जा रहा है कि विश्वविद्यालयीन स्नातक III सेमेस्टर नियमित/भूतपूर्व/एटीकेटी परीक्षा दिसम्बर 2025 के समस्त छात्रों के प्रायोगिक, आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य दिनांक 18.02.2026 से 20.02.2026 तक सम्पन्न कराकर क्रिस्प पोर्टल पर उनके प्राप्त अंकों अनिवार्यतः फीड करावे एवं छात्रों द्वारा गृहीत विषय का सत्यापन कार्य भी किया जावे। विभाग द्वारा जिन छात्रों के अंकों की प्रविष्ट पोर्टल पर हो जावेगी उन्ही छात्रों के परीक्षा आवेदन भरने हेतु पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

निर्देश-

- अग्रेषणकर्ता अधिकारी कृपया परीक्षार्थी द्वारा आवेदन के साथ जमा किये आवश्यक संलग्न अभिलेखों का भलीभांति परीक्षण कर लें। परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण भरे होने, परीक्षा शुल्क जमा होने, विषय/प्रश्नपत्र सही होने एवं पात्रता सुनिश्चित होने पर ही आवेदन अग्रेषित करें। पात्रता न होने पर परीक्षा, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रेषणकर्ता अधिकारी का होगा।
- अग्रेषणकर्ता अधिकारी कृपया प्रवेश विनियमन का पालन करें प्रवेश पोर्टल की प्रवेश सूची एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कक्षा/विषयों के अनुसार ही परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करें।
- प्राचार्य/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में प्रथम प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,


सहायक कुलसचिव परीक्षा